भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2083
14 मार्च, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

केरल में एस.पी.एम.आर.एम.

2083. एडवोकेट ए. एम. आरिफ
श्री एन.के. प्रेमचन्द्रनः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के संज्ञान में यह बात आई है कि केवल 31.03.2022 से पहले शुरू किए गए कार्यों के लिए क्रिटिकल गैप फंड (सी.जी.एफ.) प्रदान करने के सरकार के निर्णय के कारण श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन फेज ।। के डी.पी.आर. में यथा परिकल्पित अनेक कार्यों/परियोजनाओं का कार्यान्वयन देश भर के अनेक क्लस्टरों में अचानक रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या केंद्र सरकार को केरल सहित राज्य सरकारों से 31.03.2022 की समय-सीमा को बढ़ाने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ताकि डी.पी.आर. में परिकल्पित सभी कार्यों/परियोजनाओं को पूरा किया जा सके और यदि हां , तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) केरल राज्य में डीपीआर के अनुसार यथा परिकल्पित , कार्यान्वित और लंबित परियोजनाओं/कार्यों, एस.पी.एम.आर.एम. के तहत तय की गई और खर्च की गई राशि का क्लस्टर वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस तथ्य का विश्लेषण किया है कि विकास कार्यों के कार्यान्वयन में देरी कोविड-19 और प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई है और यदि हां , तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या केंद्र सरकार वैश्विक महामारी और प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखकर केरल राज्य सरकार के नेदुम्बना थ्रिक्कोविलपट्टम क्लस्टर के लिए योजना अवधि दिनांक 31.12.2022 से 30.04.2024 तक विस्तारित करने पर विचार करेगी; और

(छ) यदि हां, तो इस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) और (ख): श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन (एस.पी.एम.आर.एम.) की शुरुआत 2016 में मार्च 2020 की अवधि तक किया गया था। 31 मार्च 2022 को इस योजना के लिए "समाप्ति तिथि" घोषित की गई है। भारत सरकार ने दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार जो कार्य चल रहे थे उन कार्यों के संबंध में दिनांक 15.03.2023 तक इस मिशन के अंतर्गत निधियां जारी करने के लिए एकबारगी अंतिम स्वीकृति दी है।

(ग): समाप्ति तिथि की घोषणा के बाद निधियां जारी करने और कार्यों के समापन के लिए केरल राज्य सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से ग्रामीण विकास मंत्रालय को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। भारत सरकार ने विधिवत जांच के बाद दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार चल रहे कार्यों के संबंध में निधियां जारी करने के लिए एकबारगी अंतिम स्वीकृति दी है।

(घ): एस.पी.एम.आर.एम. के अंतर्गत केरल राज्य को तीन चरणों में 13 क्लस्टर कुल 1626.18 करोड़ रू. के निवेश के साथ आबंटित किए गए हैं, जिसमें अनिवार्य पूरक निधि (सी.जी.एफ.) से 360.0 करोड़ रू. और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं, राज्य योजनाओं इत्यादि के साथ तालमेल से 1266.18 करोड़ रू. की निधियां शामिल हैं। दिनांक 01.03.2023 की स्थिति के अनुसार सभी 12 क्लस्टरों में कुल मिलाकर 919.41 करोड़ रू. व्यय किए गए हैं। केरल राज्य को अनिवार्य पूरक निधि के रूप में जारी की गई कुल निधि 221.67 करोड़ रू. है, जिसमें से 207.45 करोड़ रू. व्यय किए जा चुके हैं। एम.आई.एस. के अनुसार केरल राज्य में एस.पी.एम.आर.एम. के अंतर्गत क्लस्टरों की वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति का ब्यौरा अनुबंध-1 में दिया गया है।

(ङ): इस मिशन के अंतर्गत केरल राज्य को तीन चरणों में क्लस्टर आवंटित किए गए। तत्पश्चात समेकित क्लस्टर कार्य योजना (आई.सी.ए.पी.) अनुमोदित की गई और विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डी.पी.आर.) तैयार की गईं, जिसके बाद कार्यों का वास्तविक निष्पादन शुरू हुआ। केरल के 12 क्लस्टरों की आई.सी.ए.पी. वर्ष 2019 तक अनुमोदित की गईं और राज्य ने कार्य के वास्तविक निष्पादन के लिए डी.पी.आर. तैयार करनी शुरू कर दिया। हालांकि कार्य की रफ्तार कोविड-19 से प्रभावित हुई, लेकिन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र महामारी के दौर में भी इस मिशन के अंतर्गत कार्य करते रहे।

(च) और (छ): इस योजना की समाप्ति तिथि पहले ही घोषित की जा चुकी है और निधियां जारी करने की अंतिम तारीख 15 मार्च, 2023 है। इस मिशन के अंतर्गत किसी क्लस्टर के समापन के लिए समय-सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अनुबंध-1

दिनांक 01.03.2023 की स्थिति के अनुसार केरल राज्य में एसपी.एम.आर.एम. के अंतर्गत क्लस्टर-वार वास्तविक और वित्तीय प्रगति का ब्यौरा

क्र.सं.	क्लस्टर	जिला	अनुमोदित निवेश (रू. करोड़ में)			अनुमोदित निवेश में से व्यय (रू. करोड़ में)	कार्यों की संख्या		
			सीजीएफ	तालमेल	कुल		प्रस्तावित	जारी	संपन्न
1	चेम्बिलोड-पेरालास्सेरी क्लस्टर	कन्नूर	30	81.97	111.97	70.17	149	11	87
2	एडप्पल वट्टमकुलम क्लस्टर	मलप्पुरम	30	122.86	152.86	61.81	173	37	90
3	कांजीकुझी - मरारीकुलम उत्तर	अलपुझा	30	86.61	116.61	50.05	230	26	161
4	मैंगटिडोम - कोट्टायम क्लस्टर	कन्नूर	30	95.91	125.91	103.72	256	2	249
5	नेदुंपना - थ्रिक्कोविलवट्टोम क्लस्टर	कोल्लम	30	94.01	124.01	36.67	117	36	41
6	पिनाराई - वेंगड़ क्लस्टर	कन्नूर	30	74.39	104.39	36.50	241	50	47
7	पुन्नयूरकुलम वडक्केकक्कड़ रुर्बन क्लस्टर	त्रिशूर	30	105.48	135.48	40.5	137	55	53
8	पुथेनवेलिक्कारा - कुन्नूकारा क्लस्टर	एर्नाकुलम	30	172.8	202.8	195.07	171	7	156
9	पुथुकोड-कवासेरी रुर्बन क्लस्टर	पलक्कड़	30	98.19	128.19	42.94	186	9	88
10	पुथुपल्ली - मनारकाड क्लस्टर	कोट्टायम	30	108.67	138.67	109.77	186	6	169
11	तानालुर - निरामारुथूर क्लस्टर	मलप्पुरम	30	100.47	130.47	52.19	112	37	48
12	वेल्लानाड - आर्यनद क्लस्टर	तिरुवनंतपुरम	30	124.82	154.82	120.33	428	30	312
कुल			**360**	**1,266.18**	**1,626.18**	**919.76**	**2386**	**306**	**1571**

टिप्पणी – तिरूनेल्ली क्लस्टर, वायनाड जिले की आई .सी.ए.पी. अनुमोदित नहीं हुई है।